CASE NO.

2017/00147

24/11/17

ग्राम मलारना डूंगर

ग्राम पंचायत मलारना डूंगर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मलारना डूंगर (स.मा.)

प्र.सं.	तारीख	किस्म	तारीख फैसला	तादाद वर्क
41	9-11-17	दावा	19-6-18	

रामफूल बनाम राधेश्याम वगै.

फैसला :- 27/17 T.I. दि. 19-6-18

निम्न तारीख पेशी

14-12-17	
8-1-18	
11/1	
6/2	
27/2	
16/3	
9.4.18	
19/4/18	
14.5.18	
13.6.18 ~~तलबी~~ बहस व निर्णय	
~~3/4/18~~ 14/6/18	

निर्णय न्यायालय श्री मुकेश कुमार कायथवाल, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
41/2017	9.11.2017	19.6.18

1. रामफूल पुत्र भोरीलाल, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
2. प्रहलाद पुत्र भोरीलाल, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर

—वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र कोरया, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
2. रामस्वरूप पुत्र हरफूल, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
3. रामकेश पुत्र राधेश्याम, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
4. मनकेश पुत्र राधेश्याम, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
5. कान्ताराम पुत्र राधेश्याम, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
6. शान्ति पत्नि राधेश्याम, माली निवासी मलारनाडूंगर तहसील मलारनाडूंगर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर
8. शाखा प्रबन्धक, पी0एन0बी0 शाखा मलारनाडूंगर

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री शंभुलाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रामकेश सैनी, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव मलारनाडूंगर के रहने वाले हैं। खाता संख्या 456 में ख0नं0 1667/95 रकबा 14 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर बी में स्थित है। यह भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर फसल काश्त कर वादीगण अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। दिनांक 7.11.2017 को वादीगण ख0नं0 1667/95 रकबा 14 विस्वा भूमि पर रबी फसल के लिए पानी से पिलाव कर रहा था। अचानक प्रतिवादीगण मारपीट की पूर्ण तैयारी करके लाठी कुल्हाडी लेकर वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि पर आ गए एवं वादी को पिलाव करने से मना कर दिया, गाली गलौंच कर मारपीट पर आमादा हो गए। वादीगण से कहा कि इस खेत की तरफ आए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड देंगे। इसकी रिपोर्ट वादीगण ने थाना मलारनाडूंगर में दी है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 1667/95 रकबा 14 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर बी में वादीगण

19.6.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में स्वयं एवं अपने नौकर या एजेन्ट द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी सं0 7, 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने अपने जबाब दावे में वादीगण के दावे को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण द्वारा वादपत्र प्रतिवादीगण को महज हैरान व परेशान करने की गरज से झूंठे व बनावटी तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के पिता कोरया के नाम ख0नं0 1667/95 रकबा 14 विस्वा जमाबंदी सं0 2025 से 2028 व 2029 से 2032 में दर्ज है एवं इस भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण जन्म से ही इस भूमि पर काश्त कर रहे हैं लेकिन वादीगण ने प्रतिवादीगण की गेहूं की फसल नष्ट करके दिनांक 7.11.2017 को श्रीमान् के न्यायालय में झूंठा दावा किया है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी इन्द्राज गलत दर्ज कराया है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में लगभग 25 वर्षो पूर्व से चली आ रही है। कब्जा प्रतिवादीगण के हक में है एवं वादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63(1)(5) राज0 टी0 एक्ट के अनुसार समाप्त हो चुके हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053, नकल नक्शा ट्रेस पेश किए हैं।

जबाब दावे के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028 एवं नकल जमाबंदी सं0 2029 से 2032 प्रस्तुत की है।

दिनांक 13.6.2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण प्रकरण में बहस करने पर सहमत हुए। अतः बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण ने बाउण्ड्रीबाल करवा ली है। इसके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण वादीगण को बाधा उत्पन्न करते हैं इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जावे।

प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि

19.6.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

सं0 2025 से 2028 की जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग कोरया की खातेदारी में दर्ज रही है एवं सं0 2029 से 2032 की जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रही हैं। वादीगण ने गलत रूप से भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। अब वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर बाउण्ड्रीबाल भी करवा ली है। अतः वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण का यह कथन है कि सं0 2025 से 2028 में एवं सं0 2029 से 2032 में भूमि क्रमशः कौरया व राधेश्याम की खातेदारी में दर्ज रही है एवं अब भी प्रतिवादीगण के कब्जे में है इसलिए वादी का दावा चलने योग्य नहीं है परन्तु कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए प्रतिवादीगण के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो। वैसे भी भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो, भूमि पर कब्जा काश्त खातेदार का ही माना जावेगा। रेकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 1667/95 रकबा 14 विस्वा ग्राम मलारनाडूंगर बी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.6.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.21 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: